

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय:- “मुख्यमंत्री बहन बेटी मई–कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के क्रियान्वयन तथा इसके तहत आच्छादन हेतु लाभार्थियों के पहचान संबंधी जननांकीय सूचनाओं के संग्रहण, प्रविष्टियां, सत्यापन आदि हेतु CSC-e-Governance Services India Limited का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति।

राज्यान्तर्गत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछ़ड़ापन की समस्या व्याप्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019 –21) के अनुसार महिला साक्षरता 61.7 प्रतिशत है, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 65.3 प्रतिशत है तथा खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुँच भी अत्यन्त निम्न है। साथ ही उक्त सर्वे में यह भी परिलक्षित हुआ है कि पिछले 12 महीने में काम करने एवं नकद भुगतान पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 18 प्रतिशत है। महिलाओं के बीच उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का मामला विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा 21–50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री बहन बेटी मई–कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह रु0 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

3. “मुख्यमंत्री बहन बेटी मई–कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

- झारखण्ड की निवासी हों।
- आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
- आवेदिका का आधार लिंकड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंकड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंकड कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
- आवेदिका का आधार कार्ड हो।
- आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहरथ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड)/हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4. अपवर्जन मानक—

निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी—

- a) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित/स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
- b) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- c) आयकर अदा करने वाले परिवार।
परिवार से अभिप्रेत है— पति / पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
- d) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- e) EPF धारी आवेदक महिला।

5. वर्णित योजनान्तर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी :—

इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप विहित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी :

- a) * आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
- b) * आधार—कार्ड।
- c) Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
- d) आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- e) * राशन कार्ड।
- f) पात्रता संबंधी घोषणापत्र।

6. वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा—

- (a) ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।
- (b) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
- (c) उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (d) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

* आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा।

- (e) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों की सत्यापित सूची संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भुगतान हेतु स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (f) संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने के उपरांत कोषांग से राशि की निकासी कर ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी।
- (g) भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदनों की प्राप्ति एवं स्वीकृति online की जाएगी।
- (h) आवश्यकतानुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है।
- (i) प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जायेगी। साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी SMS के साथ—साथ माननीय मुख्यमंत्री की आवाज में Voice Call के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जायेगी।"

7. वर्णित योजना के लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन निम्नवत किया जाएगा—

- (a) इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।
- (b) विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र/अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण—पत्र या Digital Life Certificate की मांग कर सकता है।

8. वर्णित योजना के लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी :

- i. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जायेगा।
- ii. लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे –
 - (क) लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।
 - (ख) लाभार्थी अपने पते पर छ: माह से अधिक समय से नहीं रह रही हों।
 - (ग) चयन के समय जो अर्हता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हता नहीं रखती हों।
 - (घ) योजना के लाभार्थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रही हों।
- (ड) उपरोक्त कंडिका-7 के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित/चिन्हित व्यक्तियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी एक—एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।"
- (च) उपरोक्त कंडिका-7 के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुक को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा।

M *Q*

J

नोटिस निर्गत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

9. वर्णित योजना के लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत किया जाएगा— “योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में एक बार किया जायेगा।”

10. वर्णित योजनान्तर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नवत होगी :—

- i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
- ii. अनुमंडल पदाधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध, जिले के उप विकास आयुक्त, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे।
- iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी योजना संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

11. वर्णित योजना का अन्यान्य मार्गनिर्देश निम्नवत है :—

- i. “मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- ii. इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय विधायक/स्थानीय सासंद को वर्ष में एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
- iii. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी, अपने क्षेत्र अन्तर्गत लाभुकों की सूची की शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

12. योजना के क्रियान्वयन में किसी अवरोध की स्थिति में विभाग द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा।

13. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत कोई बजटीय उपबंध नहीं है। योजनान्तर्गत तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से बजटीय उपबंध प्राप्त किया जाएगा। योजना कार्यान्वयन हेतु राशि बजटीय उपबंध के मांग संख्या—60, मुख्य शीर्ष—2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष—796/102/789—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—17—मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के उपयुक्त इकाईयों के अधीन विकलनीय होगी।

14. इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा समर्पित पहचान संबंधी जननांकीय आंकड़े, आधार एवं बैंक विवरणी, अपवर्जक मानकों एवं संबंधित अन्य अभिलेखों इत्यादि के संग्रहण, प्रविष्टियां, सत्यापन, ई केंवाई०सी० इत्यादि संबंधी अपेक्षित तकनीकी सेवाओं का सम्पादन CSC-e-Governance Services India Limited के माध्यम से कराए जाएँगे। एतद हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम—245 के तहत नियम—235 को शिथिल करते हुए CSC-e-Governance Services India Limited के मनोनयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस मनोनयन का आधार यह है कि CSC-e-Governance Services India Limited भारत सरकार की एक संस्था है तथा इसके सहयोग से राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी

म

४

५

योजना का शीघ्र कार्यान्वयन किया जा सकेगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं CSC-e-Governance Services India Limited के मध्य MoU हस्ताक्षरित की जायेगी। यह MoU विधि विभाग, झारखण्ड द्वारा विधिकीत होगी।

15. CSC-e-Governance Services India Limited के दायित्व निर्वहन के विरुद्ध उन्हें भुगतेय सेवा शुल्क, e-KYC हेतु शुल्क इत्यादि का भुगतान योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद अधीन प्रावधानित राशि से कराया जायेगा। राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा आयुष्मान भारत—जन आरोग्य योजना के तहत इस योजना के समरूप कार्य CSC-e-Governance Services India Limited से सम्पादित कराये जा रहे हैं एवं इस हेतु उन्हें प्रति आवेदन ₹—20.00 + GST की दर से भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत उक्त दर पर CSC-e-Governance Services India Limited को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बजटीय उपबंध का न्यूनतम 1 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु प्रावधानित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

16. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक—28.06.2024 की बैठक के मद संख्या—36 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानासभा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

०१०७.३५
(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 08 / म०स० / यो०—१३८ / २०२४— १५०६

राँची, दिनांक ०१०७ / २०२४

प्रतिलिपि :— नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

०१०७.३५
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 08 / म०स० / यो०—१३८ / २०२४— १५०६

राँची, दिनांक ०१०७ / २०२४

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी अंचल अधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०१०७.३५
सरकार के सचिव